



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/620

दिनांक: 24.10.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/ सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: कार्यान्वयन तिथि का विस्तार - मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ)।

आपको सूचित किया जाता है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने **22 अक्टूबर 2025** को राजपत्र अधिसूचना एसओ 4779 (ई) जारी की है, जो मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री में और संशोधन करती है।

अधिसूचना के अनुसार, उक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) की प्रवर्तन तिथि **24 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है।**

प्रमुख बिंदु:

- अधिसूचना शीर्षक: मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा संशोधन आदेश, 2025
- राजपत्र संख्या: एसओ 4779(ई)
- अधिसूचना की तिथि: **22 अक्टूबर 2025**
- प्रवर्तन की नई प्रभावी तिथि: **24 अप्रैल 2026**

कृपया आधिकारिक अधिसूचना के लिए संलग्न लिंक देखें

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251024021138.pdf

इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे इस विस्तार पर ध्यान दें और तदनुसार अपने अनुपालन की योजना बनाएं।

यह आपकी जानकारी के लिए है.

सादर,

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकॉन्सिल)